न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम. के. सिंह,
सदस्य.

प्रकरण कमांक निगरानी 2138–तीन/02 विरूद्ध आदेश दिनांक 7–6–2002 पारितद्वारा अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना प्रकरण कमांक 22/99–2000/अपील.

1– महिला लक्ष्मीदेवी बेवा श्री देवकीनंदन
2– देवेन्द्रकुमार
3– महेन्द्र कुमार
दोनों पुत्रगण स्व. श्री देवकीनंदन
समस्त निवासीगण ग्राम बंथरी, तहसील
मिहोना जिला भिण्ड म.प्र.

----- आवेदकगण

विरूद्ध

1– दीनदयाल पुत्र श्री रामसेवक ब्राहम्ण
निवासी ग्राम बंथरी तहसील मिहोना,
जिला भिण्ड म.प्र.
2– श्री भगवानदास
3– श्री काशीनाथ
पुत्रगण श्री रामसेवक ब्राहम्ण,
निवासीगण ग्राम बंथरी तहसील मिहोना,
जिला भिण्ड म.प्र.
वर्तमान में रामलीला भवन के पास लहार
तहसील नहार जिला भिण्ड म.प्र.
4– श्री विनोद कुमार
5– श्री प्रदीप कुमार
पुत्रगण स्व. श्री केदारदत्त
6– महिला इच्छा देवी पत्नी स्व. केदारदत्त
7– कुमारी ऊषा पुत्री स्व. श्री केदारदत्त
सभी निवासीगण ग्राम बंथरी तहसील मिहोना,
जिला भिण्ड म.प्र.

----- अनावेदकगण

श्री एस. के. अवस्थी, अधिवक्ता, आवेदकगण.
श्री मुकेश भार्गव, अधिवक्ता, अनावेदक क. 1 लगायत 3.

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 06 जुलाई 2015 को पारित)

.....

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 22/99–2000/अपील में पारित आदेश दिनांक 7–6–2002के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 44 के तहत पेश की गई है ।

2– प्रकरण के तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में विस्तार से उल्लिखित होने से उन्हें पुनः दोहराने की आावश्यकता नहीं है ।

3/ आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिये गये हैं कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश त्रुटिपूर्ण है । एस.डी.ओ. ने प्रकरण में गुणदोष पर निर्णय न कर प्रत्यावर्तित किया था अतः उनका आदेश अंतरिम आदेश होने के कारण ऐसे आदेश के विरूद्ध अपील कानूनन वर्जित है । इस कारण अपर आयुक्त का आदेश निष्प्रभावी है । यह आपत्ति आवेदक ने अधीनस्थ में की थी परंतु उस पर कोई विचार नहीं किया गया ।

यह तर्क दिया गया है कि संहिता की धारा 110 के तहत बने नियम 27 का पालन नहीं किया गया है । अपीलीय न्यायालयोंने प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य पर कोई विचार नहीं किया है । कथित वसीयत साक्ष्य से सिद्ध नहीं की गई है और ना ही वसीयत को शंका से परे साबित किया गया है । अपर आयुक्त क`मत में यदि इश्तहार का प्रकाशन आवश्यक था तब उन्हें प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य पर विचार कर निर्णय देना चाहिए था । वसीयत के संबंध में सक्षम न्यायालय में दीवानी प्रकरण विचाराधीन है तब वसीयत के आधार पर नामांतरण का आदेश देने में त्रुटि की गई है । उक्त आधारों पर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

4/ अनावेदक कमांक 1 लगायत 3 की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । इस प्रकरण में अपर आयुक्त द्वारा सम्पूर्ण प्रकरण की विवेचना करके आदेश पारित किया गया है । उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को इस आधार पर निरस्त किया गया है कि विचाराधीन आदेश जिसके विरूद्ध उनके

समक्ष निगरानी पेश की गई इससे पहले भी प्रकरण एस.डी.ओ. लहार के समक्ष चला और प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया जिसमें यह आदेश दिया गया था कि दीनदयाल और केदारदत्त जो कि वसीयत के आधार पर नामांतरण चाहते हैं, को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देकर तथा उनके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का तार्किक विश्लेषण कर समुचित आदेश पारित करें । विचारण न्यायालय द्वारा इसके उपरांत सभी पक्षकारों को समुचित अवसर देकर आदेश पारित किया गया है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अपर आयुक्त का जो आदेश है वह अभिलेख पर आधारित है जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर